उपखण्ड अधिकारी
शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 87/2021 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
वैरिशालसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपुत, निवासी विरधसिंह की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. सुखराम पुत्र भीयाराम जाति जाट, निवासी नागड़दा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. गेमरसिंह पुत्र दीपसिंह फौत 2.1 जामतसिंह पुत्र गेमरसिंह 2.2 बागसिंह पुत्र गेमरसिंह 2.3 बाबूसिंह पुत्र गेमरसिंह 2.4 मूलसिंह पुत्र गेमरसिंह जाति राजपुत, निवासी नागड़दा तहसील शि, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थी – श्री बृजमोहन कुमावत।
अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2.1 से 2.4 – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 11.12.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 394/261 रकबा 10.3599 हैक्टेयर मौजा नागड़दा, तहसील शिव में आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी के रहवासी ढाणी, टांका आदि बने हुए है। प्रार्थी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 578/414, 415 रकबा क्रमशः 5.9893, 14.3744 हैक्टेयर मौजा नागड़दा, तहसील शिव में प्रार्थी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे कटाण मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारों को नया रास्ता खोलने की जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम व सुगम है जो आगे कटाण मार्ग से जुड़ता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु मौजा नागड़दा, तहसील शिव में विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खसरा नम्बर 578/414 कुल रकबा 2.5090 हैक्टेयर में से रकबा 0.0323 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 2.1 से 2.4 के खातेदारी खसरा नम्बर 415 कुल रकबा 14.1963 हैक्टेयर में से 0.03237 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा है। विप्रार्थी संख्या 2.1 से 2.4 की ओर से जरिये अधिवक्ता [illegible] 7 [illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे अस्वीकार किया जा चुका है। शेष विप्रार्थीगण बाद [illegible] अनुस्थित रहे है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी [illegible] हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा [illegible] प्रस्तावित रास्ता धारा [illegible] के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें। इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 2.1 से 2.4 के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र धारा आदेश 7 नियम 11 के कथनों को दोहराते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:54:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला-बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का उक्त आवेदन विधि से वर्जित होने एवं मौका रिपोर्ट सही नहीं होने से खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट मे मौजा नागड़दा, तहसील शिव के ख़सरा नम्बर 578/414, 415 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो खातेदारी खसरा है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु मौजा नागड़दा, तहसील शिव के विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 578/414 कुल रकबा 2.5090 हैक्टेयर में से रकबा 0.0323 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 2.1 से 2.4 के खातेदारी खसरा नम्बर 415 कुल रकबा 14.1963 हैक्टेयर में से 0.03237 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। मौका रिपोर्ट पक्षकारान् की उपस्थिति में तैयार की गई है तथा प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं सुगम विकल्प है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन विधि से वर्जित होने से व मौका रिपोर्ट सही नहीं होने का कथन करते हुए आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया है, जबकि उक्त आवेदन के संबंध में विप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी पेश की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2023 को निर्णय पारित करते हुए निगरानी को खारिज कर प्रकरण सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। चूंकि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि में प्रार्थी को आत्यांतिक आवश्यकता होने पर रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थी द्वारा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 394/261 रकबा 10.3599 हैक्टेयर मौजा नागड़दा, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु मौजा नागड़दा, तहसील शिव में विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खसरा नम्बर 578/414 कुल रकबा 2.5090 हैक्टेयर में से रकबा 0.0323 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 2.1 से 2.4 के खातेदारी खसरा नम्बर 415 कुल रकबा 14.1963 हैक्टेयर में से 0.03237 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी, शिव
जिला-बाड़मेर
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
शिव

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

आदेश आज दिनांक 11.12.2024 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:54:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner